कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राज0)

क्रमांक :–खैरथल तिजारा/पीए/2024/ दिनांक :– यथा हस्ताक्षर

–: आदेश :–

राज्य में अत्यधिक शीतलहर के मद्देनजर स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जिला कलक्टर को जिले में संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय (निजी) विद्यालयों के संचालन का समय परिवर्तन/विद्यार्थियों हेतु अवकाश घोषित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

उक्त के क्रम में शीतलहर के अधिक प्रकोप के मद्देनजर जिला खैरथल–तिजारा में संचालित कक्षा 01 से 08 तक के समस्त राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का दिनांक 07.01.2025 से 11.01.2025 तक का अवकाश घोषित किया जाता है। यह अवकाश केवल छात्र–छात्राओं हेतु लागू रहेगा। शेष स्टॉफ यथावत कार्य करता रहेगा।

6/1/2025

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज.)

क्रमांक :–खैरथल तिजारा/पीए/2024/ दिनांक :–

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

01. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
02. संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर।
03. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी खैरथल–तिजारा को प्रेषित कर लेख है कि जिले में संचालित समस्त राजकीय/गैर राजकीय (निजी) विद्यालयों में उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना कराना सुनिश्चित करें।
04. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार समस्त जिला खैरथल–तिजारा।
05. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त, जिला खैरथल–तिजारा को पालनार्थ।
06. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, खैरथल–तिजारा।
07. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज.) 6/1/2025